(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3109–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–8–2016 पारित द्वारा तहसीलदार सांवेर जिला इंदौर, प्रकरण क्र. 36/अ–6/2015–16

1–अय्युब पिता अब्दुल करीम
2–अशफाक पिता अब्दुल करीम
3–अरब अली पिता अब्दुल करीम
4–अब्दुल करीम पिता कासम
5–अफजल पिता अरब अली
सभी निवासी ग्राम जेतपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–नगजी पिता स्व0निहालसिंह राजपूत
वादमित्र व संरक्षक कलाबाई पति नगजी
निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर
हाल मुकाम ग्राम मल्लपुरा तहसील तराना जिला उज्जैन
2–भागुबाई उर्फ मांगुबाई पति स्व0करणसिंह राजपूत
3–उमरावसिंह पिता स्व0 करणसिंह राजपूत
4–भगवानसिंह पिता स्व0करणसिंह राजपूत
निवासी 2 लगायत 4 ग्राम चित्तोडा
तहसील सांवेर जिला इंदौर
5–फूलसिंह पिता स्व0अंतरसिंह राजपूत
निवासी ग्राम जेतपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर
6–तोफानसिंह पिता स्व0अंतरसिंह राजपूत
7–सौदानसिंह पिता स्व0अंतरसिंह राजपूत
8–समन्दरसिंह पिता भंवरसिंह
निवास 6 लगायत 8 ग्राम चित्तोडा तहसील सांवेर जिला इंदौर
9–अजबसिंह पिता स्व0 भंवरसिंह राजपूत
निवासी ग्राम जेतपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

.....

श्री विनीत जोशी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री भरत मालवीय, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 5 लगायत 9
श्री जसबंतसिंह यादव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 लगायत 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 5 द्वारा तहसीलदार सांवेर जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 व 178 के अन्तर्गत संयुक्त स्वामित्व की ग्राम जैतपुरा तहसील सांवेर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 80/1 रकबा 4.051 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 169 रकबा 5.330 हेक्टेयर पर संयुक्त रूप से अनावेदकगण का नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 36/अ–6/2015–16 दर्ज कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178(4) सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आदेश दिनांक 26–8–2016 को पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसका निराकरण षष्टम अतिरिक्त जिला जज द्वारा दिनांक 28–1–16 को आदेश पारित कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में याचिका लंबित है, ऐसी स्थिति में को उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखना थी।

(2) चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है इसलिये संहिता की धारा 178(4) के प्रावधान आकर्षित होते हैं और तहसीलदार को तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी, क्योंकि अपीलीय न्यायालय से निराकरण होने तक प्रकरण में बटवारे की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है ।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका का निराकरण किया जा चुका है जिसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत की गई है और प्रकरण में लंबित याचिका को कन्स्टीट्यूशन सूट माना जाता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाना चाहिये थी ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 5 लगायत 9 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) स्वत्व का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है इसलिये तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित रखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(2) संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित किये जाने का प्रावधान है और यदि दीवानी न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं है तो बटवारे की कार्यवाही की जायेगी । प्रकरण में स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से हो चुका है, इसलिये तहसीलदार द्वारा बटवारे की कार्यवाही स्थगित नहीं करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) स्वत्व का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है इसलिये तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित रखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(2) संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित किये जाने का प्रावधान है और यदि दीवानी न्यायालय से स्थगन प्राप्त

नहीं है तो बटवारे की कार्यवाही की जायेगी । प्रकरण में स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से हो चुका है, इसलिये तहसीलदार द्वारा बटवारे की कार्यवाही स्थगित नहीं करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 लगायत 8 के मध्य भूमि का बटवारा होना है, क्योंकि वह उनकी पैतृक संपत्ति है और आवेदकगण की भूमि का बटवारा नहीं होना है, इसलिये उनका आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(4) माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका का निराकरण हो चुका है अतः आवेदकगण द्वारा तथ्यों को छिपाकर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 28–1–2017 से निरस्त हो चुकी है । बदली हुई परिस्थितियों में निगरानी को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाने से समाप्त किया जाना उचित है । उभयपक्ष बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर विचारण न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर